आयुध कारखाना, जबलपुर द्वारा रद्द वस्तुओं का बेचा जाना

1430. श्री शिव प्रसाद चनपुरिया : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयुध कारखाना, जबलपुर और वाहन कारखाना, जबलपुर द्वारा 1990 से 31 दिसम्बर, 1993 की अवधि के दौरान कितना रद्द किया गया सामान बेचा गया और इससे कितना धन प्राप्त हुआ ;

(ख) रद्द किए गए सामान में लोहे की सिल्ली अथवा कतरन की मात्रा कितनी थी ;

(ग) लोहे की सिल्ली अथवा कतरनों की प्रति मीट्रिक टन विक्रय दर कितनी थी

(घ) क्या उपर्युक्त कारखाने में रद्द की गई लोहे की सिल्लियों अथवा कतरनों को भिलाई इस्पात संयंत्र को देने का प्रस्ताव है ; और

(ङ) भिलाई इस्पात संयंत्र में लोहे की सिल्ली अथवा कतरनों को खरीदने की दर क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) जबलपुर में वाहन निर्माणी सहित चार आयुध निर्माणियां हैं। निर्माणी-वार अस्वीकृत मदों की बेची गई मात्रा, उसमें धातुपिंडों/रद्दी माल की मात्रा, प्रति मीटरी टन विक्रय मूल्य तथा बिक्री का कुल मूल्य निम्नलिखित तालिका में दिए गए हैं :—

	अस्वीकृत मदों/एम टी (स्टील/लौह अंश) की कुल मात्रा	लौह कतरनों का विक्रय मूल्य रुपए/मीटरी टन (बिक्री का वर्ष)		मूल्य लाख रुपयों में
		माइल्ड स्टील	एलॉय स्टील	
1. वाहन निर्माणी जबलपुर	403 (400)	4010(1992) 5677(1993)	— —	24.34
2. ग्रे आयरन फाउन्ड्री	1200 (शून्य)			33.34
3. आयुध निर्माणी खमरिया	268 (268)	4430(1990-91) 4822(1990-91) 7210(1992-93)	5176 5859	20.49
4. गन कैरिज फैक्ट्री	3814 (1883)	5662	7009	225.13
	5685 (2551)			303.30

(घ) जी, नहीं । रद्दी माल खुली निविदा के माध्यम से बेचा जाता है जिसमें भिलाई इस्पात संयंत्र भी भाग ले सकता है ।

(ङ) भिलाई इस्पात संयंत्र से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ था ।

Report on defence preparedness

1431. SHRI ASHOK MITRA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether since more than thirty years have elapsed, the Government would consider formally releasing the report prepared by General Brook-Henderson on the then state of the country's defence preparedness; and

(b) whether Government would also consider releasing the more recent report of the Arun Singh Committee so that the public get an opportunity to debate on vital issues of policy?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI MALLIKARJUN) (a) and (b) The Reports prepared by General Brook Henderson and the Arun Singh Committee are sensitive. It would not be desirable to make them public.

सशस्त्र सेनाओं के पेंशनभोगियों हेतु एक समय की पेंशन वृद्धि

1432. **श्री महेश्वर सिंह:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सशस्त्र सेनाओं के पेंशन-भोगियों को एक समय की पेंशनवृद्धि की स्वीकृति दी गई है ;

(ख) क्या डिफेंस सिक्योरिटी कार्प्स को भी सशस्त्र सेनाओं का एक अभिन्न अंग माना जाता है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार डिफेंस सिक्योरिटी कार्प्स को एक समय की पेंशनवृद्धि की योजना शुरु करने का विचार रखती है ;

(घ) यदि हां, तो कब तक ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां । उन पर भी सेना नियम तथा विनियम लागू होते हैं ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) जब कोई सेना कार्मिक सेवा-निवृत्ति के बाद रक्षा सुरक्षा कोर में पुन: रोजगार पा लेता है तो वह सेना पेंशन लेना जारी रख सकता है तथा यदि वह रक्षा सुरक्षा में 15 वर्ष से कम की सेवा करता है तो उसके लिए उपदान प्राप्त कर सकता है । यदि वह सेना से सेवा-निवृत्त होने के बाद रक्षा सुरक्षा कोर में 15 वर्ष या उससे अधिक की सेवा करता है तो वह रक्षा सुरक्षा कोर से भी दूसरी पेंशन प्राप्त कर सकता है । ऐसा सेना कार्मिक, सैन्य सेवा के निमित्त पहले प्राप्त पेंशन या उपदान का त्याग करके, रक्षा सुरक्षा कोर में अपनी पिछली सैन्य सेवा को जोड़े जाने का विकल्प भी दे सकता है । इस प्रकार रक्षा सुरक्षा कोर के पेंशनभोगी या तो दो पेंशनें, या सेना पेंशन तथा रक्षा सुरक्षा कोर की सेवा के लिए उपदान, या दोनों सेवा कालों के लिए एक समेकित पेंशन प्राप्त कर रहे हैं । रक्षा सुरक्षा कोर के कार्मिक अल्पकालिक सेवा के कैरियर की हानियों से प्रभावित नहीं हैं जो कि पेंशन में एक बार की वृद्धि दिए जाने का मूलाधार है ।

उपर्युक्त कारणों की वजह से सरकार ने रक्षा सुरक्षा कोर के कार्मिकों को पेंशन में एक बार की वृद्धि दिए जाने संबंधी उनकी मांग को स्वीकार नहीं किया है । तथापि, रक्षा सुरक्षा कोर जो कार्मिक अपनी सैन्य सेवा के लाभों को अपनी रक्षा सुरक्षा कोर की सेवा में शामिल नहीं करते या दूसरी पेंशन प्राप्त नहीं करते, वे अन्य पुनर्नियुक्ति सैन्य पेंशनरों के समान माने जाने के हकदार होते हैं ।